Dr. Dhananjay Kumar Singh
Assistant Professor
S. R. A. P college

1

वर्साय की संधि

प्रथम विश्वयुद्ध में मित्र राष्ट्रों (USSR, U.K and France) ने धुरी राष्ट्रों (जर्मनी, इटली व आस्ट्रिया) को पराजित कर दिया। इसके बाद वैश्विक शांति पुनः ऐसे विनाशकारी युद्ध की पुनरावृत्ति न हो तथा विजित राष्ट्रों के महत्वकांक्षा के निहित 1919 मे पेरिस में शांति सम्मेलन बुलाया गया। जिसमे अलग-अलग राष्ट्रों से अलग-अलग पाँच संधियाँ की गई। इन्ही संधियों में से एक था वर्साय की संधि जो एक प्रमुख धुरी राष्ट्र के देश जर्मनी के साथ किया गया था। यह संधि पाँच संधियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संधि था।

वर्साय की संधि 28 June 1919 को जर्मनी के साथ किया गया था। इस संधि के प्रस्ताव को तैयार करने मे चार महीने लगे थे। 230 पृष्ठो मे छपी इस संधि के प्रस्ताव को 16 भागो में विभाजित किया गया था, जिसमे कुल 440 धाराएँ थी। जर्मन प्रतिनिधिमंडल के सम्मुख ही यह प्रस्ताव रखा गया तथा दो सप्ताह का समय दिया गया, विचार विमर्श के लिए। संधि के शर्तों से जर्मन जनता भी नाखुश थी। इससे ब्रिटेन प्रधानमंत्री लायड जार्ज चिढ़कर पुनः युद्ध की धमकी दी। जर्मन प्रतिनिधिमंडल ने शांतिपूर्ण एक विरोध ~~प्र~~ प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा कहा कि जिन शर्तों पर उसे

2

आत्मसमर्पण किया था प्रस्तावित संधि उन प्रस्तावों का उल्लंघन करता है। जर्मन राजनीतिज्ञों का मानना था कि जर्मनी की सरकार प्रजातांत्रिक है तथा राष्ट्रसंघ की सदस्यता के लिए भी इच्छुक है। निःशस्त्रीकरण केवल जर्मनी पर नहीं बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्रों पर लागू की जानी चाहिए। विश्वयुद्ध के लिए केवल जर्मनी को उत्तरदायी मानना ठीक नहीं है। इस प्रकार जर्मनी ने संधि की सभी शर्तें मानने में असमर्थता जताई लेकिन मित्र राष्ट्रों के हठता के समक्ष जर्मनी को झुकना पड़ा। छोटे-छोटे संशोधनों के बाद जर्मनी को संधि के लिए विवश किया गया तथा जर्मनी को धमकी दी गई कि संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने का मतलब होगा जर्मनी पर पुनः मित्र राष्ट्रों द्वारा आक्रमण। अतः जर्मनी संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। हस्ताक्षर करके लौट रहे जर्मन प्रतिनिधियों पर फ्रांस की जनता ने पत्थर मारा। दूसरे दिन जर्मनी के समाचार पत्र ने "कहीं हम भूल न जाए" नामक लेख छापा। इस प्रकार बलपूर्वक जर्मनी पर वर्साय की संधि लाद दी गई। इस प्रकार वर्साय की संधि ने द्वितीय विश्वयुद्ध के बीज बो दिए।

⇒ **वर्साय की संधि की शर्तें :—**

(1) राष्ट्रसंघ :— वर्साय की संधि में विल्सन के दबाव में 26 धाराएँ राष्ट्रसंघ से संबंधित जोड़े गए।

(2) प्रादेशि...
(1) ...
...

(2) प्रादेशिक व्यवस्था :-

(i) एल्सास एवं लोरेंस का क्षेत्र :- जब जर्मनी का एकीकरण हुआ था तब 1871 ई० में उसने फ्रांस से एल्सास एवं लोरेंस का क्षेत्र छीन लिया था। चूंकि प्रथम विश्वयुद्ध में जर्मनी पराजित राष्ट्र था। अतः वर्साय की संधि के तहत यह तय किया गया कि एल्सास - लोरेंस का क्षेत्र फ्रांस को लौटा दिया जाएगा।

(ii) राइनलैंड :- फ्रांस जर्मनी की सैन्य शक्ति से भयभीत था। यही कारण था कि क्लीमेंशू फ्रांस को सुरक्षित रखने के लिए राइनलैंड को अपने प्रभाव क्षेत्र में रखना चाहता था। परंतु लायड जार्ज व विल्सन ने इसका विरोध किया तथा कहा कि ऐसा करने से दूसरा एल्सास लोरेंस बनेगा जो भविष्य में युद्ध का कारण होगा। परंतु जर्मनी यहाँ सैनिक न रखे इसके लिए तीन भागों में राइनलैंड को विभाजित कर दिया गया। - उत्तरी मध्यम तथा दक्षिणी भाग संधि के तहत तय किया गया कि मित्रराष्ट्रों की सेना उत्तरी भाग पर पाँच वर्षों के लिए मध्यम भाग पर 10 वर्षों के लिए तथा दक्षिणी भाग पर 15 वर्षों के लिए मौजूद रहेगी। साथ ही साथ यह भी तय हुआ कि राइन नदी के दाहिने भाग के 31 मील (लगभग 50 km) चौड़े प्रदेश पर जर्मनी किलाबंदी नहीं करेगा।

4

(ii) सार :— जब फ्रांस राइन नदी के तटवर्ती क्षेत्रों पर अधिकार नहीं कर पाया तो उसने सार क्षेत्र पर अपना दावा पेश किया। यह यूरोप का एक प्रमुख कोयला भंडारण वाला क्षेत्र था। फ्रांस का तर्क था कि जर्मनी ने प्रथम विश्वयुद्ध में फ्रांस के सम्पूर्ण कोयला खान को बर्बाद कर दिया। अतः सार के कोयला खानों पर उसका अधिकार होना चाहिए। लायड जार्ज व विल्सन फ्रांस से सहमत था। परंतु वे नहीं चाहते थे कि सार पर फ्रांस का नियंत्रण हो क्योंकि यहाँ की सम्पूर्ण जनता जर्मन नस्ल की थी। अतः सार प्रदेश के शासन का उत्तरदायित्व राष्ट्रसंघ को दे दिया गया। तथा यहाँ की खानें फ्रांस को। यह भी तय हुआ कि 15 वर्षों के बाद लोकमत द्वारा तय होगा कि सार के लोग जर्मनी के साथ रहेंगे या फ्रांस के साथ? यदि लोकमत जर्मनी के पक्ष में रहा तो जर्मनी को फ्रांस से कोयला खानों को खरीदना होगा। इस प्रकार इस संधि के तहत सार प्रदेश भी फ्रांस को दे दिया गया।

(i) बेल्जियम एवं डेनमार्क को प्राप्त क्षेत्र :— इस संधि के तहत यूपेन, मार्सनेट और मेलमेडी का प्रदेश बेल्जियम के अधीन कर दिया गया। श्लेशविग में जनमत संग्रह हुआ जिसके तहत उत्तरी श्लेशविग डेनमार्क को तथा दक्षिणी श्लेशविग जर्मनी को मिला।

(2) जर्मनी का पूर्वी सीमा :— जर्मनी को सबसे अधिक नुकसान पूर्वी सीमा पर उठाना पड़ा। मित्रराष्ट्रों ने स्वतंत्र पोलैण्ड राज्य के निर्माण का निर्णय लिया। डांजिग को स्वतंत्र नगर के रूप में में परिवर्तित कर दिया गया तथा राष्ट्रसंघ के संरक्षण में रख दिया गया। मेमल का बंदरगाह लिथुआनिया को दिया गया। जर्मनी को चेकोस्लोवाकिया राज्य को मान्यता देना पड़ा।

इस प्रकार संधि के प्रादेशिक व्यवस्था के तहत जर्मनी को 13% भू भाग (लगभग 25 हजार वर्ग मील) तथा 10% आबादी लगभग 70 लाख खोनी पड़ी।

(3) जर्मन उपनिवेश तथा संधि की शर्तें :—

मित्र राष्ट्र जर्मन साम्राज्य को आपस में बाँटना चाहते थे परन्तु अमेरिकी राष्ट्रपति इसके विरुद्ध था। इसके बावजूद मित्र राष्ट्र किसी भी तरह अपने मनसूबे को पूरा करना चाहते थे। अतः मित्रराष्ट्रों ने संरक्षण प्रणाली (एक प्रकार का साम्राज्यवाद) की जिसमें कहा गया कि जब ये शासन करना सीख जायेंगे, आजादी दे दी जायेगी।

प्रशांत महासागर में कई द्वीपों तथा अफ्रीका में जर्मनी के चार उपनिवेशों में जिनपर मित्र राष्ट्रों ने संरक्षण प्रणाली को लागू किया।

सैनिक व्यवस्था :- इस संधि के द्वारा सेना को एक लाख सुनिश्चित कर दिया गया अस्त्र-शस्त्र, एवं अन्य युद्ध उपयोगी सामानों के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा यह निश्चित किया गया कि जर्मनी के पास केवल छः युद्धपोत तथा इतने ही गश्ती जहाज का निर्माण नहीं कर सकता है। इस व्यवस्था का पालन करवाने और निगरानी रखने के लिए जर्मनी के खर्च पर मित्र राष्ट्रों ने एक सैनिक आयोग का गठन किया। राइन नदी के किनारे असैनिकरण किया गया। इस प्रकार सैनिक दृष्टिकोण से भी जर्मनी को पंगु बना दिया गया।

आर्थिक व्यवस्था : मित्रराष्ट्रों ने विश्वयुद्ध के लिए केवल जर्मनी को उत्तरदायी माना तथा उसे सभी राष्ट्रों की क्षतिपूर्ति करने के लिए कहा गया। हालांकि क्षतिपूर्ति की राशि संधि द्वारा तय नहीं किया गया। इस व्यवस्था के जर्मनी 1923 ई० तक 5 अरब डॉलर दे दे तथा क्षतिपूर्ति आयोग को अंतिम रकम निश्चित करने की जिम्मेवारी सौंपी गई। इसके अलावे उपनिवेशों में लगी जर्मनी की सारी पूंजी जब्त कर ली गई। आर्थिक महत्व तथा खानों वाले क्षेत्रों जैसे सार प्रदेश की सभी खानें फ्रांस को दे दिया गया परिणामस्वरूप जर्मनी लोहा एवं कोयला जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों से वंचित हो गया। इस प्रकार वर्साय की संधि ने जर्मनी को आर्थिक रूप से पंगु बना दिया।

निष्कर्ष :- निष्कर्षतः यह कह सकते है कि प्रथम विश्वयुद्ध के समाप्ति के बाद पेरिस शांति सम्मेलन के तहत जर्मनी के साथ वर्साय की संधि की गई जिसने उसे आर्थिक, सामाजिक, सैनिक एवं सामरिक रूप से पंगु बना दिया। इस संधि ने स्पष्ट कर दिया कि मित्र राष्ट्र वैश्विक शांति के लिए कम तथा बदले की भावना से अधिक प्रेरित हो कर लिए। यही कारण था कि विल्सन के बार-बार एक जैसे संधि की बात करना जिसमें पराजित राष्ट्रों को भी आत्म सम्मान की रक्षा कहने देने के बावजूद जर्मनी पर एक कठोर तथा अपमानजनक संधि लाद दी गई जिसने अंततः द्वितीय विश्व युद्ध के बीज को दिया

संधि के तहत जर्मनी को युद्ध जुर्माना देने के लिए बाध्य किया जिसकी रकम भी निश्चित नहीं की गई थी। अतः इस विषय पर मोसंगांग महोदय ने ठीक ही लिखा "जर्मनी ने क्षतिपूर्ति के लिए कोरे चेक पर हस्ताक्षर किया था। डेनसर्ग ने भी लिखा कि प्रथम विश्वयुद्ध के लिए जर्मनी को ही दोषी ठहराना ठीक नहीं था। उसके लिए मित्र राष्ट्र भी उतना ही दोषी था जितना की जर्मनी।